VISION IAS
R 30 SEP 2016 No
N 3
RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 766)

Name of Candidate	Shailendra Singh Fndoliya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7441
Center	ORN	Date	30/9/16

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Legislative Councils in states are expensive and otherwise superfluous legislative appendages. Examine the utility of legislative councils in this context. Also, comment on the procedural aspect of setting up and abolishing them.

   राज्य विधान परिषदें महंगी और अनावश्यक विधायी उपांग हैं। इस संदर्भ में विधान परिषदों की उपयोगिता की जांच करें। इसके अतिरिक्त इनके सृजन व उत्सादन के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर टिप्पणी करें।

राज्य विधान परिषद् राज्य विधानमंडल के एक अंग है। इनके सृजन के संबंध में कई प्रक्रियात्मक पहलू जुड़े हैं। इनके महंगी होने के पश्चात भी इन्हें एक अनावश्यक उपांग नहीं माना जा सकता है।

विधानपरिषद् की उपयोगिता -

- तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्तियों के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से न जीतने की स्थिति में उन्हें विधानपरिषद में सदस्य बनाया जा सकता है।
- यह विधानसभा द्वारा लिये गये जल्दबाजी के निर्णयों में पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करती है।
- इसके सदस्यों का विविध पृष्ठभूमि से होने के कारण राज्य विधानमंडल का समावेशी चरित्र बरकरार रहता है।

तथापि विधानपरिषद की विधायी शक्तियां सीमित

है। इसके द्वारा किसी विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोका जा सकता है तथा इसके असहमति की दशा में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है।

सृजन व उत्सादन हेतु प्रक्रिया -

इस हेतु विधानसभा में उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 तथा सामान्य संख्या के 1/2 से अधिक विधायकों द्वारा विधेयक पारित करना अनिवार्य है।

तत्पश्चात इस विधेयक के पारित होने के पश्चात संसद को ही इस विधेयक पर अनुमति लेनी पड़ती है। संसद द्वारा उपस्थित सांसदों के आधे से अधिक के द्वारा अनुमति देने की स्थिति में राज्य विधानपरिषद का सृजन किया जा सकता है।

उत्सादन की स्थिति में राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पास कर इसे समाप्त किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महत्वपूर्ण मुद्दे -

- राज्य विधानपरिषद को राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के समान 'पंचायतों की परिषद' के रूप में बनाने की आवश्यकता है
- इसके सदस्यों का चुनाव पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. While some argue that Article 3 provides usurping powers to the center at the cost of states, according to others it enables the Parliament to maintain and preserve federalism as enshrined in the constitution. Discuss. Is it time to have a relook at Article 3 in the spirit of co-operative federalism?

जहाँ कुछ लोगों का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों की कीमत पर केंद्र को अनन्य शक्तियां प्रदान करता है, वहीं दूसरों के अनुसार, यह संविधान में निहित संघवाद को बनाए रखने तथा संरक्षित करने के लिए संसद को सक्षम बनाता है। चर्चा कीजिए। क्या सहकारी-संघवाद की भावना के अनुरूप अनुच्छेद 3 पर पुनः विचार करने का समय आ गया है?

अनुच्छेद-3 के अंतर्गत केंद्र को राज्यों की सीमा घटाने, राज्यों का विलय करने, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करने संबंधी अधिकार है क्योंकि भारत को 'विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ' माना गया है।

यद्यपि इस संबंध (34 वर्ष) में केंद्र को अनन्य शक्तियां हैं तथापि स्वतंत्रता के पश्चात देश को संयुक्त व अखंड बनाने हेतु ऐसी शक्तियों का केन्द्र में होना अनिवार्य था। राज्यों को ऐसी शक्तियां देने पर विभाजन का संकट पुनः उत्पन्न हो सकता था।

यह अनुच्छेद संसद को संघवाद बनाये रखने हेतु शक्तियां प्रदान करता है क्योंकि राष्ट्रहित के खिलाफ केवल राज्य द्वारा अपनी सीमा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को घटाया नहीं जा सकता है।

सहकारी संघवाद प्रशासनिक निर्णयों, वित्तीय निर्णयों के संबंध में राज्यों की भूमिका को बढ़ाता है। तथापि अनुच्छेद-3 को सहकारी संघवाद की दिशा में बाधक नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान में भी अलगाववादी ताकतें विद्यमान है। पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर नागालैण्ड, मणिपुर में अलगाववादी ताकतों के सक्रिय होने के कारण इस अनुच्छेद में ढील देना राष्ट्रहितों व देश की संप्रभुता व अखंडता के लिए उपयुक्त कदम नहीं होगा।

पुंछी आयोग ने भी इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें दी है।

इसप्रकार अनुच्छेद-3 को ढील देना या इसके संबंध में राज्यों को शक्ति देना एक प्रभावी कदम नहीं होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1φ

3. While the British Parliament is a sovereign legislature, the Parliaments of India and USA are non-sovereign legislatures. Explain. Also, compare the organisation and powers of the Indian Lok Sabha with the British House of Commons.

जहाँ ब्रिटिश संसद एक संप्रभु विधायिका है, वहीं भारत और अमरीका की संसदें गैर-संप्रभु विधायिकाएं हैं। स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त, हाउस ऑफ कॉमन्स और भारतीय लोक सभा के गठन की प्रक्रिया और शक्तियों की तुलना करें।

ब्रिटिश संसद एक संप्रभु विधायिका है क्योंकि इसके द्वारा लिये गये विधायी कार्यों या शक्तियों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत व अमेरिकी संसदों द्वारा की गई कार्यवाहियों या इनके द्वारा पारित विधेयक न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होते हैं। जिन्हें न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए निरस्त भी किया जा सकता है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है वहां विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

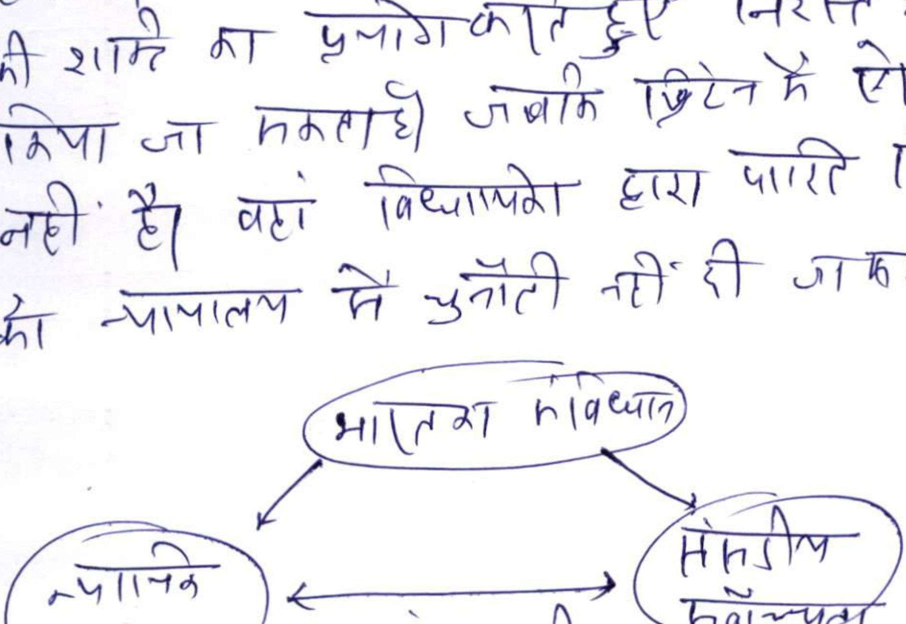

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हाउस ऑफ कामन्स तथा लोकसभा के गठन व शक्तियों में कई अंतर है।

हाउस ऑफ कॉमन्स का गठन निर्वाचन द्वारा व अप्रत्यक्ष रूप से नामांकन द्वारा होता है जबकि लोकसभा में सदस्य मनोनीत करने का उपबंध नहीं है।

लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पारित विधेयक को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. While Fundamental Rights are crucial to the survival of a vibrant democracy, Fundamental Duties are equally important. While enumerating the Fundamental Duties, discuss the statement.

जहाँ एक जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को चिन्हित करते हुए प्रस्तुत कथन पर चर्चा कीजिए।

जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व हेतु मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दोनों आवश्यक है। गांधी के अनुसार "सभी व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्यों पर बल देने से उनके अधिकार अपने आप सिद्ध हो जायेंगे"

संविधान में मूल कर्तव्य लोकतंत्र हेतु आवश्यक है।

- संविधान द्वारा प्रदत्त मूल आदर्शों का पालन करना और स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा विकसित तत्वों हृदय से सम्मान देना।
- राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना।
- ऐसी परंपराओं का विरोध जो महिलाओं के खिलाफ हो। - (सामाजिक लोकतंत्र)
- आर्थिक लोकतंत्र - सार्वजनिक संपत्ति रक्षा करें।

- पर्यावरणीय लोकतंत्र - सभी वन्य-जीवों, झीलों का संरक्षण करें।
- सामासिक संस्कृति विकसित करें।

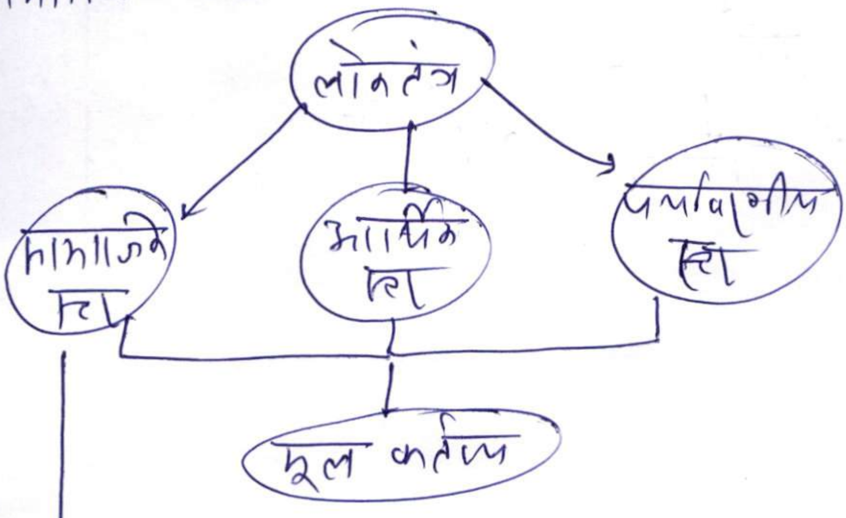

- लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास करें।
- 6-14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना।

- लोकतंत्र की स्थापना का मूल उद्देश्य देश की एकता व अखंडता है। मूलकर्तव्यों में देश की एकता, अखंडता को सुरक्षित रखने की बात है।

- इस प्रकार मूलकर्तव्य, मूल अधिकारों के समान महत्वपूर्ण हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

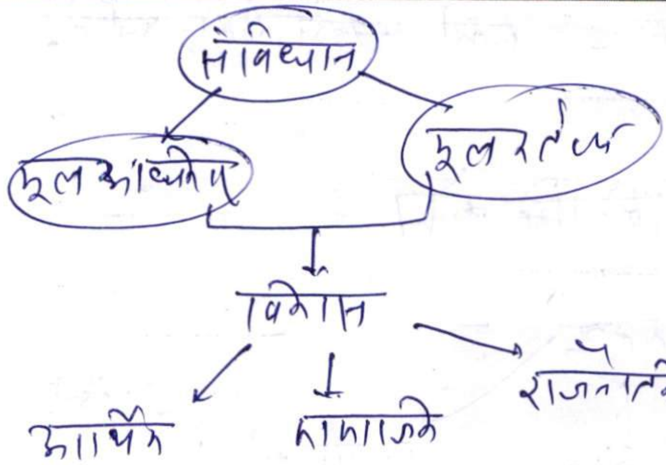

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Several constitutional experts have found the process of appointment and removal of governor to be against the very grain of democratic traditions and constitutional propriety. Do you think that this process warrants a fresh look in context of recent controversies surrounding the post?

कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्यपाल की नियुक्ति व इसे हटाने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक परंपराओं की मूलभावना और संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध पाया है। इस पद से जुड़े हाल के विवादों को देखते हुए क्या आप इस प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं?

वर्तमान में संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति व हटाने हेतु मौजूद प्रावधानों का राजनीतिक उद्देश्यों से लाभ उठाया जाता है। "राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगा" यद्यपि ऐसी अवधि 5 वर्ष होगी।

यद्यपि राज्यपाल को हटाने हेतु वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में सुप्रीमकोर्ट द्वारा S.R. बोम्मई वाद कई महत्वपूर्ण फैसले दिये गये।

हाल में सत्ता बदलने पर कई राज्यपालों को अपने पद से हटाया गया। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में न मानकर स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया था किंतु राजनीतिक उद्देश्यों ने राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि बना दिया। अरुणाचल प्रदेश केस में राज्यपाल की भूमिका

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

की सुप्रीमकोर्ट द्वारा आलोचना की गई। राज्यपाल की नियुक्ति व हटाने की प्रक्रिया में निष्पक्षता की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकारिया आयोग व पुंछी आयोग द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई।

- राज्यपाल को राज्य के बाहरी व्यक्ति होना चाहिए।
- राज्यपाल को राजनीति में अनासक्त होना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए।
- राज्यपाल को हटाने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तथा उसे सामान्यतः 5 वर्ष से पहले नहीं हटाना चाहिए।
- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर रहेगा। इस कथन को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नहीं करनी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राज्यपाल को हटाने के पहले उसे अपनी स्पष्टता का मौका दिया जाना चाहिए।

राज्यपाल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। जिसका राजनीतिकरण लोकतांत्रिक व संवैधानिक सिद्धांतों व मूल्यों के खिलाफ होगा।

6. Repeated violations of the Model Code of Conduct (MCC) have raised questions on its effectiveness. In this light, discuss the idea of making MCC a part of Representation of Peoples Act, 1951.

आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) के बार-बार होने वाले उल्लंघन ने इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े किये हैं। इस आलोक में, आदर्श आचार संहिता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का हिस्सा बनाने के विचार पर चर्चा करें।

आदर्श आचार संहिता को चुनावों की घोषणा होने पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में लागू किया जाता है। यह संहिता चुनावी परिणाम आने तक लागू रहती है।

मुद्दे:

- आचार संहिता के लागू होने के कारण विकासपरक व नीतिगत कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ता है।
- सिविल सेवकों व पुलिस प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों का स्थानांतरण की शक्ति चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती है।
- आचार संहिता के लागू रहने पर भी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन न करना।
- वोट बैंक हेतु उपहारों का वितरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस संबंध में आचार संहिता को प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा बनाने पर विचार चल रहा है।

- इसके पश्चात् आचार संहिता उल्लंघन करने पर पर्याप्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी।
- राजनीतिक उम्मीदवारों पर लगाम लगाने का प्रयास होगा उनके द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।
- निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार होने से उनमें पर्याप्त स्पष्टता आयेगी जिससे निर्वाचन आयोग प्रभावी कदम उठा सकता है।
- चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही का विकास होगा।
- राजनीतिक अपराधीकरण जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायक होगी।

तथापि इस निबंध में उक्त विभिन्न
सिफारिशें, चुनाव आयोग, विधि आयोग
के पर्याप्त विचार विमर्श का कोई
निष्कर्ष लेने की आवश्यकता है।
आदर्श आचार संहिता का विस्तार
चुनावी प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित
का लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को
सबल बनाना निर्वाचन के सिद्धांतों
को अभिप्राप्ति प्रदान करेगा।

7. The government cannot condition receipt of public benefits on waiver of fundamental rights. Discuss this statement in context of the recent issues raised in the Aadhaar petitions.

सरकार, जनता के समक्ष कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए, मौलिक अधिकारों के परित्यागं की शर्त नहीं रख सकती। हाल ही में आधार कार्ड से सम्बंधित याचिका में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें।

आधार कार्ड से संबंधी विवाद में प्रमुख मुद्दा 'निजता का अधिकार' से संबंधी है। सरकार द्वारा कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने में आधार की अनिवार्यता लोगों के निजता के अधिकार को प्रभावित करेगी।

मुद्दे :-

- आधार कार्ड की प्रक्रिया निजी कंपनियों को दी गई है ऐसी कंपनियों द्वारा डाटा का दुरुपयोग व्यक्ति की निजता को प्रभावित करेगा।
- आधार कार्ड में व्यक्ति का नामांकन से डाटा की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। सरकार द्वारा डाटा सुरक्षा के उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने हेतु किसी संस्थान के प्रक्रिया को निर्धारित नहीं किया गया है ऐसे में निज व्यक्तियों के निजी डाटा की

गोपनीयता खुलासे नहीं मानी जा सकती।

- एक बार आधार कार्ड बन जाने अर्थात सरकार के डाटा बेस में आ जाने पर उन व्यक्तियों के हटने का अधिकार या अपनी निजी जानकारी समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यह व्यक्ति की 'विकल्पों की स्वतंत्रता' के अधिकार के खिलाफ होगा।

- हाल में बच्चों के आधार कार्ड का भी इस आधार पर गलत माना जा रहा है क्योंकि भविष्य में बच्चों द्वारा आधार प्रणाली से हटने का विकल्प उनके सामने मौजूद नहीं होगा।

- देश में साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में डाटा की सुरक्षा (बायोमेट्रिक डाटा) की चुनौती बनी हुई है।

हाल में महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं परीक्षा के लिए आधार की अनिवार्यता लागू करने के प्रबंध में कदम उठाये हैं भारत जैसे देश के

द्वारा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में ऐसे बाध्यकारी कदम को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

आधार बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उद्देश्य में डाटा की निजता संबंधी आंकड़े सार्वजनिक करने के संबंध में प्रावधान है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम डाटा की गोपनीयता का नैतिक (अमेरिका में एप्पल-FBI का मामला) प्रश्न खड़ा कर देता है।

अतः भारत को व्यक्तिगत अधिकारों को बनाये रखते हुए कल्याणकारी लाभों का अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए। आधार कार्ड के संबंध में डाटा सुरक्षा हेतु एक जवाबदेह तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Though the institutions protecting human rights and rights of the vulnerable sections are meant to act as watchdogs, they are treated as subordinate departments with scant regard for their autonomy or statutory character. Discuss the issues which these institutions are facing related to appointment, structure and functioning.

यद्यपि मानवाधिकारों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संस्थानों से इन अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इन विभागों की स्वायत्तता या वैधानिक चरित्र के प्रति महज औपचारिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए अधीनस्थ विभागों जैसा व्यवहार किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा नियुक्ति, गठन और कामकाज से संबंधित सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

मानवाधिकारों से जुड़े संस्थान - जैसे - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय ... आदि का प्रमुख कार्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है। तथापि प्रभावी व उपयुक्त शक्तियों के अभाव से इनकी कार्यविधि प्रभावित होती है।

संस्थानों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां

→ नियुक्ति संबंधी
→ गठन संबंधी
→ कार्यप्रणाली संबंधी

नियुक्ति संबंधी

- इन संस्थाओं की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जाती है।
- सदस्य व अध्यक्ष पद का या नियुक्ति से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निवेश में कोई मानक क्रियाविधि व अनुशासन प्रणाली नहीं है।
- अक्सर ऐसी संस्थाओं में मानवाधिकार विशेषज्ञों के स्थान पर नौकरशाह व न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
- संस्थाओं के सदस्यों को उपयुक्त योग्यता नहीं।

गठन -
- कई राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया गया है।
- मानवाधिकार संस्थाओं को उपयुक्त स्टाफ की कमी।
- स्टाफ सदस्यों का प्रशिक्षित न होना।

कार्यप्रणाली
- मानवाधिकार संस्थाओं की स्वतंत्र जांच एजेंसी न होने से कारण कार्यप्रणाली प्रभावित
- इनके द्वारा ऐसी किसी घटना संज्ञान नहीं लिया जा सकता जिसे एक साल से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अधिकतम समय बीत गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियम सशस्त्र बलों पर लागू नहीं है जबकि मानवाधिकार के सर्वाधिक हनन की घटनाएं वहां होती हैं।

इसी प्रकार इन संस्थाओं की रिपोर्ट केन्द्र/राज्य पर बाध्यकारी नहीं होती तथा इनकी सिफारिशों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

समाधान:

इनकी रिपोर्ट पर संसद/विधानसभा में प्रभावी चर्चा की आवश्यकता।

2^{nd} ARC रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Equality of seats among states in Rajya Sabha could not be adopted after independence because of the circumstances prevailing at that time. However, there is a need to take a fresh look at this. Evaluate.

स्वतंत्रता पश्चात् राज्यसभा में राज्यों के बीच सीटों की समानता की संकल्पना तत्कालीन परिस्थितियों के कारण नहीं अपनाई जा सकी। हालांकि इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन करें।

अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। लेकिन भारत में राज्यसभा में सीटों की असमानता है। इस कारण उत्तरपूर्वी राज्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है।

तत्कालीन परिस्थितियों में राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति व अन्य समस्याओं के कारण समानता की संकल्पना नहीं अपनाई जा सकी। तथापि वर्तमान पर इस पर विचार करने की आवश्यकता है-

क्योंकि लोकसभा में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या आधार पर होता है। राज्यसभा में भी ऐसा कारक केवल दोहराव की स्थिति उत्पन्न करता है।

उत्तरपूर्वी राज्यों का संसद में प्रभावी प्रतिनिधित्व न होने के कारण इनके संबंधित मुद्दों की अवहेलना होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को, राज्यसभा में कुछ राज्यों का बहुमत होने के कारण प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा सकता है।
- इस संबंध में पूंछी आयोग, सरकारिया आयोग ने भी समीक्षा की बात की थी।
- राज्यसभा में सीटों का समान विभाजन राज्यों की समानतापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
- राज्य विशिष्ट मुद्दों का प्रभावी निवारण हो सकेगा।
- वर्तमान में बदलते स्वरूप राज्यों से संबंधित मुद्दों के बढ़ने से राज्यसभा की भूमिका बढ़ेगी। इस संबंध में इसकी समीक्षा की आवश्यकता है ताकि सहकारी संघवाद की धारणा प्रभावी रूप से लागू हो सके।

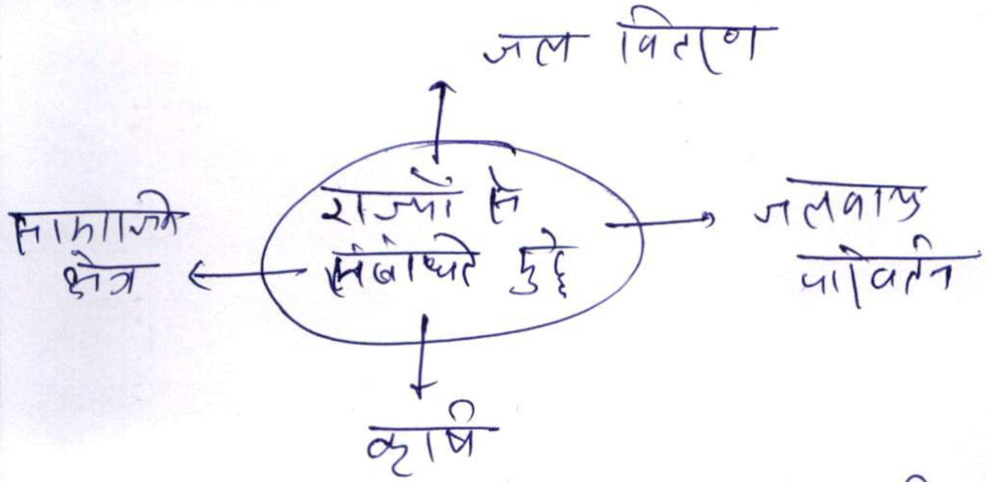

वैश्वीकरण दौर में राज्यों की भूमिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. It is contended that the implementation of One-Rank-One-Pension (OROP) for the armed forces would create a severe strain on government finances. Explain the principles underlying the OROP and arguments that have been cited in its support as well as opposition.

यह दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है कि सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) का कार्यन्वयन सरकार के वित्त पर एक गंभीर दबाव उत्पन्न करेगा। ओ.आर.ओ.पी. के अन्तर्निहित सिद्धांतों तथा इसके समर्थन एवं विपक्ष में दिए गए तर्कों की व्याख्या कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Article 311 of the Constitution has been a matter of much debate. Arguments range from its retention in its present form, or even strengthening it, to its total deletion. Comment.

संविधान का अनुच्छेद 311 बहस का महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस विमर्श में इसे वर्तमान रूप में ही बनाए रखने, अधिक सशक्त करने से लेकर इसके विलोपन तक के मुद्दे शामिल हैं टिप्पणी करें।

अनुच्छेद 311 में सिविल अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है इसके अंतर्गत उन्हें हटाने से बचाने हेतु क्रियाविधि दी गई है।

- एक केन्द्रीय कर्मचारी को हटाने के पहले उसे अपने बचाव का अवसर दिया जायेगा
- केन्द्रीय कर्मचारी को उसके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा नहीं हटाया जायेगा

वर्तमान परिस्थितियों में सिविल अधिकारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण उनको अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना अप्रासंगिक सा लगता है। तत्कालीन परिस्थितियों में दी गई इस उपबंध का अधिकतर गलत इस्तेमाल ही हुआ है।

2nd ARC ने अपनी चौथी- शासन में नैतिकता रिपोर्ट में भी इसे हटाने की बात की थी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसके स्थान पर 309 उपबंध को मजबूत करने की बात की थी।

(उ६) -

- 311 उपबंध का अत्याचारी व दोषी सिविल सेवकों द्वारा अधिक उपयोग
- प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी।
- ईमानदार सिविल सेवकों की आड़ लेकर दोषी सिविल सेवकों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में बाधा प्रस्तुत करना।
- इस उपबंध के कारण दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रभावी सजा मिलने में समय लग जाता है।

उपर्युक्त कारणों से इस उपबंध की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है तथापि इसे पूरी तरह से हटाना ईमानदार सिविल सेवकों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While Public Interest Litigations have provided access to justice for the poor and the marginalized sections of the society but many vested interests have also misused it. In this context, examine the utility of PILs as a tool of social justice.

यद्यपि जन हित याचिकाओं ने समाज के निर्धन एवं अधिकार विहीन वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान किया है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थों के कारण इसका दुरुपयोग भी हुआ है। इस संदर्भ में, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जन हित याचिकाओं की उपयोगिता का परिक्षण करें।

जनहित याचिकाओं को निर्धन व अधिकारहीन वर्ग हेतु न्याय उपलब्ध कराने के लिए नवाचारी कदम के रूप में लागू किया गया था तथापि वर्तमान में इन PILs का प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है-

<u>सम्बंधित मुद्दे</u> --

- अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों द्वारा पंजाब, हरियाणा, NCR PIL की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि निर्धन राज्यों द्वारा डाली जाने वाले PIL की संख्या में कमी आई है।
- PIL के द्वारा समृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जाने लगा है ~~मनोरंजन~~ क्रिकेट के संबंध में PIL डाली जाने लगी है इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट हितों से संबंधित PIL में वृद्धि हुई है

• समृद्ध लोगों-राज्यों से डाली गई PIL का सफलता दर 75% है जबकि निर्धनों, वंचित वर्गों के केस में सफलता दर 49% है।

PIL का समृद्ध व कॉरपोरेट लोगों के बढ़ते प्रभाव से गरीब, वंचित वर्गों के न्यायिक अधिकारों की अवहेलना होती है।

इस प्रकार न्यायिक तंत्र का गरीबों के लिए जारी इस नवाचारी काम को पुनः करने की आवश्यकता है। PIL के माध्यम से अधिकार विहीन लोगों तक न्याय पहुंचाने की आवश्यकता है।

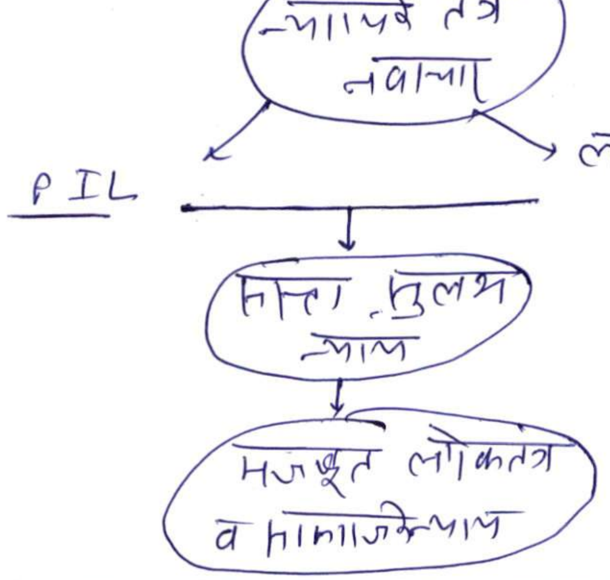

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. What do you understand by alternate dispute redressal mechanism? Discuss the various tools of ADR. In light of the problems faced by the Indian judiciary enumerate the advantages of Lok Adalats.

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से आप क्या समझते हैं? वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (ए.डी.आर.) के विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। भारतीय न्यायपालिका के समक्ष पेश आ रही समस्याओं के आलोक में लोक अदालतों के लाभों का वर्णन करें।

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से अभिप्राय परंपरागत न्याय प्रणाली से अलग अदालती प्रक्रिया से है। इसका प्रमुख उदाहरण लोक अदालत, न्यायाधिकरण है।

लोक अदालत, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र जहाँ अपेक्षाकृत लचीले साधनों का प्रयोग किया जाता है।

भारतीय न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियाँ:

विलंबित केसों की बढ़ती संख्या

न्यायिकों, हाईकोर्ट, अधीनस्थ कोर्टों में न्यायाधीशों की अनुपलब्धता।

केसों का प्रभावी निपटारा न निष्पादन की समस्या।

सस्ती प्रक्रिया न होना, शांतिकारी प्रवृत्ति की भावना, सुलभ पूर्ण नहीं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इन चुनौतियों को दूर करने हेतु लोक अदालत एक प्रभावी विकल्प है-

- लोक अदालत परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया से सस्ती प्रक्रिया है।
- इसमें तुरंत न्याय मिलता है। विलंबन की प्रक्रिया से बचा जाता है।
- इसके निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होते हैं तथा इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। इस प्रकार विवाद का तुरंत प्रभावी समाधान किया जाता है।
- इसमें सेवानिवृत्त न्यायधीश उपस्थित होते हैं तथा दोनों पक्षों को प्रभावपूर्ण समय दिया जाता है।
- लोक अदालत से न्यायिक तंत्र में विद्यमान अनावश्यक केसों के बोझ को दूर किया जाता है।

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

न्यायिक तंत्र

वैकल्पिक विवाद निवारण
↓
सस्ता सुलभ न्याय
↓
आसान प्रक्रिया

न्यायालय
↓
केसों का विलंबन
↓
लंबी प्रक्रिया

इस प्रकार लोक अदालत एक प्रभावी विवाद निवारण तंत्र है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Bringing political parties under the ambit of RTI will not only usher accountability and transparency in governance but will also be a major step towards electoral reforms. Discuss.

राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के दायरे में लाने से न केवल पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन की शुरुआत होगी बल्कि यह चुनाव संबंधी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। चर्चा करें।

सूचना के अधिकार अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरणों को शामिल किया गया है जबकि इसके अंतर्गत राजनीतिक दल शामिल नहीं है। पारदर्शी व उत्तरदायी शासन हेतु इन दलों को RTI के तहत लाना एक प्रभावी कदम होगा।

वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया में व्यक्तिगत व्यय सीमा निर्धारित है जबकि राजनीतिक दलों के व्यय सीमा निर्धारित नहीं है। जिस कारण चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती।

राजनीतिक दलों द्वारा 20,000/- से अधिक की राशि देने वालों का ही लेखाजोखा रखा जाता है जबकि 90% से अधिक फंडिंग को 20,000/- से कम दिखाया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनीतिक दलों को RTI में लाने से उनकी आंतरिक लोकतंत्र प्रक्रिया में सुधार होगा क्योंकि उन्हें एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। जो सूचनाएं उपलब्ध करायेगा।

राजनीतिक दलों को लाने के कारण,

- राजनीतिक दलों को सस्ती जमीन उपलब्ध करवाई जाती है
- संचार माध्यमों में चुनाव प्रचार हेतु समय प्रदान किया जाता है
- इस प्रकार अन्य गतिविधियों में दलों द्वारा करदाताओं के धन का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने हेतु इनको RTI के दायरे में लाने की आवश्यकता है। तथापि कई विषय जैसे- मीटिंग की आंतरिक बहस, निर्वाचन हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव, आदि को RTI के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता है ताकि RTI का दुरुपयोग न हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

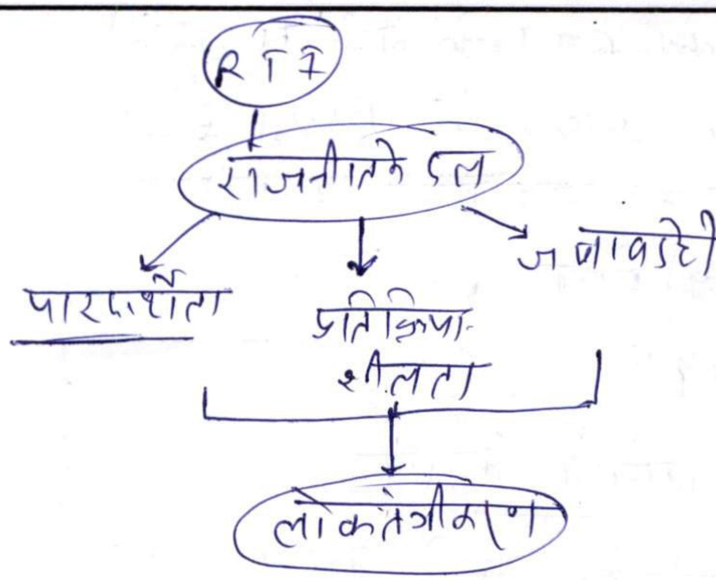

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. A generational shift in railway operations is required. In light of this, discuss the need for an independent tariff and safety regulatory authority of India.

रेलवे के संचालन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तथ्य के प्रकाश में, भारत के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क टैरिफ एवं सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता पर चर्चा करें।

रेलवे के संचालन से जुड़े कई प्रशासनात्मक व अन्य समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में कई समितियों द्वारा सुझाव दिये गये हैं

काकोदर समिति

रेलवे समिति — विवेक देबराय समिति

सैम पित्रोदा समिति

रेलवे के राजनीतिकरण के कारण इसके संचालन में बाधा उत्पन्न होती है इसलिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क टैरिफ व सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता पर विवेक देबराय समिति ने भी बल दिया था।

रेलवे का किराया जन भावनाओं के मद्देनजर नहीं बढ़ाया गया। जिससे रेलवे राजस्व में कमी हुई।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- रेलवे में यात्री भाड़ा कम होने के कारण इनके क्रॉस सब्सिडाइजेशन (cross subsidisation) की समस्या उत्पन्न होती है। मालभाड़े की दरें विश्व की दरों के तुलना में काफी अधिक है। इससे औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती है।
- सुरक्षा संबंधी मानकों पर ध्यान देने के बजाय लोकप्रियता पर अधिक बल दिया गया जिससे कई समस्याएँ उत्पन्न हुई।
- इस संबंध मे एक प्रभावी प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. It has been argued that the 'First past the post' system fails to represent the will of the majority and encourages vote-bank politics. In this context, examine whether India should adopt Proportional Representation System to reform our electoral process.

यह तर्क दिया जाता है कि 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली बहुमत की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर वोट बैंक की राजनीति को प्रोत्साहित करती है। इस संदर्भ में, इस बात का परिक्षण करें कि क्या भारत को अपनी चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाना चाहिए?

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई गई जिसमें जो उम्मीदवार अधिक मत (चाहे वे कुल मत के 50% से कम हो) प्राप्त करता है वह जीतता है जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक उम्मीदवार का 50% से अधिक मत पाना जीतने हेतु अनिवार्य होता है।

यद्यपि ऐसी प्रणाली के लाभ व हानि दोनों हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हानि:

इस प्रणाली में मतदाता पार्टी को मत देता है। अतः उन्हें अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के संबंध में जानकारी नहीं होती।

जटिल प्रक्रिया

ऐसी प्रक्रिया में गठबंधन प्रणाली को बल

मिलेगा। दलगत राजनीति को बल मिलेगा क्योंकि सीटों का बंटवारा मत प्रतिशत के अनुपात में होगा। उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी।

(लाभ) :
वोट बैंक की राजनीति कम होगी। 50% से अधिक मत पाने वाली पार्टी ही उस क्षेत्र में विजयी होगी। जनता के मत का अधिक प्रतिनिधित्व होगा।

तथापि भारत में वर्तमान स्थिति को देखते हुए 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली' उचित है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सरल है जबकि आनुपातिक प्रणाली के जटिल होने के कारण मतदाताओं को प्रभावित करेगी।

'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली' के सरल होने तथा मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी होने कारण अधिक प्रभावी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लोगों मत डालने का अवसर मिलता है।

- चुनावी प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने की आवश्यकता है
- राजनीति का अपराधीकरण के बचने के उपाय करना
- उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करना
- राजनीतिक दलों की चुनावी खर्च सीमा निर्धारित करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Independence of judiciary and separation of powers, both are part of the basic structure of the constitution. In this context, discuss the recent Supreme Court judgment on the constitutional validity of the National Judicial Appointments Commission.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं शक्तियों का विभाजन, दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इस संदर्भ में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.) की संवैधानिक वैधता पर दिए गए निर्णय पर चर्चा करें।

न्यायपालिका द्वारा हाल में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया गया। क्योंकि इसके द्वारा मूलभूत सिद्धांतो की अवहेलना (केशवानंद भारती वाद) हुई।

न्यायपालिका ने इस आयोग को इन आधार पर असंवैधानिक माना क्योंकि न्यायिक नियुक्ति व आयोग न्यायधीशों से लेकर अन्य सदस्यों को हस्तांतरित करता है। न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होगी- ऐसा न्यायालय ने माना।

इसके अतिरिक्त न्यायिक आयोग में शासन मंत्री की उपस्थिति को शक्तियों के विभाजन सिद्धांत के खिलाफ माना। क्योंकि इससे कार्यपालिका का न्यायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तथापि राष्ट्रीय आयोग के निर्णय में दी गई टिप्पणी पर विचार करने की आवश्यकता है।

- वर्तमान में न्यायधीशों की उपेक्षा, यौन दुराचार और केसों में बढ़ती जटिलता के बावजूद उन्हें हटाने की कोई अन्य (महाभियोग के अलावा) प्रक्रिया नहीं है यह प्रक्रिया जटिल व लगभग असंभव सी है।
- न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव।
- कुछ देशों में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका है।
- इस परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति आयोग के निर्णय में एक संतुलित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता को बनाया जा सके। न्यायिक जवाबदेही व स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं न्यायिक स्वतंत्रता को बनाये रखते हुए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हुए न्यायिक जवाबदेही का पालन न करना भी एक असंवैधानिक कार्य है। अतः इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

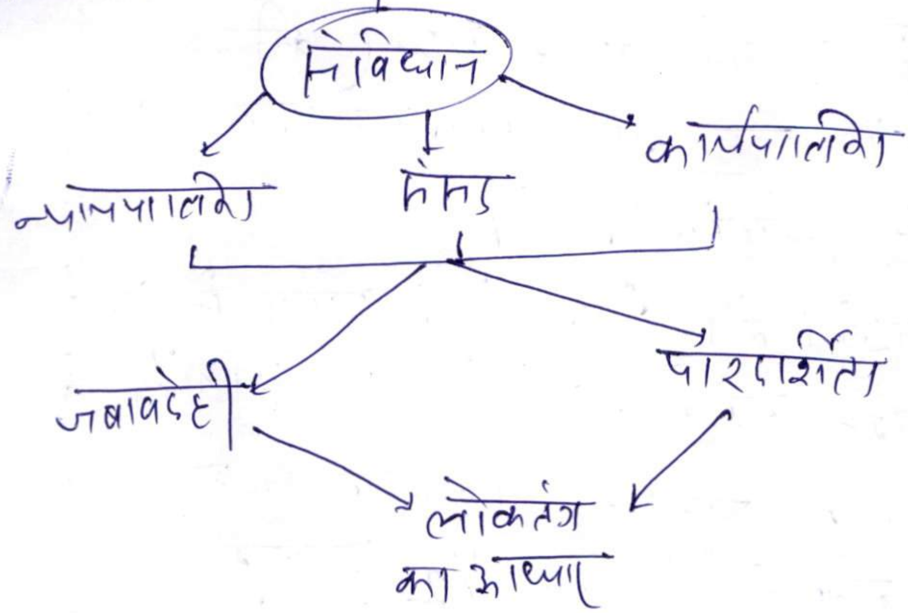

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. AMRUT gives state governments the flexibility in designing schemes and eases central monitoring. Explain. How far can it recast the urban landscape of India?

अमृत (AMRUT) राज्य सरकारों को योजनाओं के प्रारूप निर्धारण के सन्दर्भ में लचीलापन प्रदान करता है तथा केंद्र द्वारा की जाने वाली मॉनीटरिंग को आसान बनाता है | वर्णन करें। भारत के शहरी परिदृश्य को यह किस हद तक पुनर्निर्मित कर सकता है?

अमृत मिशन के अंतर्गत भारत के 500 प्रमुख शहरों का पुनर्नवीकरण व सुधार की योजना है यह JNNURM का एक अधिक प्रभावपूर्ण संशोधित रूप है।

इसमें राज्यों को योजनाओं के प्रारूप निर्धारण में उपयुक्त लचीलापन प्रदान किया गया है।

इस मिशन के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 1/3 सहायता केन्द्र देगा व 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में केन्द्रीय सहायता एक तिहाई होगी।

JNNURM में जहां राज्यों की नगण्य भागीदारी थी तथा केन्द्र का द्वारा नियंत्रण था वहीं यह योजना राज्यों को प्रभावपूर्ण भागीदारी प्रदान करती है।

तथा सहकारी संघवाद की धारणा को सफल

बनाती है।

राज्यों मॉनीटरिंग करने का भी आह्वान किया गया है जिसमें केन्द्र समर्थन और सहायता प्रदान करेगी

शहरों को चुनने के संबंध में भी योजनाबद्ध रूप से निर्धारण किया जायेगा जिसमें राज्यों व केन्द्र की भूमिका होगी।

भारत के शहरी परिदृश्य को निर्मित करने में इनकी प्रभावी भूमिका होगी।

AMRUT ← (शहरी क्षेत्र) — स्मार्ट सिटी

→ केन्द्र-राज्यों की भागीदारी ←

↓

bottom-up उपागम

↓

भागीदारीपूर्ण शासन

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना भागीदारीपूर्ण शासन विकसित करेगी।
- शहरी योजनाओं में राज्यों की प्रमुख भूमिका होने के कारण इनका कार्यान्वयन प्रभावी रूप से होगा।
- केन्द्र-राज्य संबंधों के सबल होने से प्रभावी निगरानी होगी जिससे योजनाओं का सुधार किया जा सकेगा।
- भारत में 2001 की तुलना में 2016 में शहरीकरण की आबादी लगभग दोगुनी (220 मिलियन से 470 मिलियन) हो गई है शहरीकरण को प्रभावी बनाने में अमृत की प्रमुख भूमिका होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There has been a tendency to resolve specialized cases faster through the means of Tribunals. In light of this, discuss the issue of increasing "tribunalisation" of courts in India.

न्यायाधिकरण जैसे साधनों के माध्यम से विशेष मामलों को तेजी से हल करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके सन्दर्भ में, भारत में न्यायालयों को न्यायाधिकरणीकृत करने की बढ़ती प्रवृत्ति के मुद्दे पर चर्चा करें।

न्यायाधिकरण विशेष मामलों के निपटाने हेतु बनाये जाते है। संविधान में अनुच्छेद 323 (क) व (ख) में प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में प्रावधान दिये गये है।

वर्तमान में न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों के त्वरित निपटान की प्रवृत्ति देखी गई है। भारत में इस संबंध में न्यायालयों का न्यायाधिकरणीकरण का मुद्दा उठाया हुआ है।

मुद्दा :

- शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित होगी न्यायाधिकरण के माध्यम से कार्यवाही की जाती है।
- न्यायाधिकरण सदस्यों के न्यायिक विशेषज्ञ न होने के कारण उनसे जुड़ा मुद्दा।
- न्यायाधिकरण द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्णय दिया जाता है। जिससे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1908, CRPC जैसी कानूनों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

- न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने में घटना के सभी पक्षों पर विचार न किया जाता।
- हाल में न्यायाधिकरण द्वारा कई फैसले दिये गये - डीजल वाहनों पर दिल्ली में रोक लगाना (10 वर्ष पुराने)
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसले। इनमें से कई फैसलों की आलोचना हुई। इनके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने कई आधिकरण जैसे- राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण आदि को असंवैधानिक घोषित किया।
- इस संबंध में एक प्रभावपूर्ण निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है ताकि अधिकारों के निर्णय से न्याय पालिका की शक्तियों में कमी परिलक्षित न हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आयोगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णय में मौजूद दुविधा विचार नहीं करना चाहिए तथा आयोग द्वारा प्रभावी न्याय के प्रक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए ही निष्पक्ष फैसला चाहिए।

न्यायाधिकरण

↓

शक्ति पृथक्करण सिद्धांत प्रभावित

↓

संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना

↓

प्रभावी न्याय मूलक न होना।

20. While the 73rd and 74th constitutional amendments provided for representation to women in local governance, much work remains to be done to ensure their true participation, given their present socio-economic conditions. Comment.

यद्यपि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, लेकिन उनकी वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। टिप्पणी करें।

73 वें, 74 वें संविधान संशोधन (पंचायत व नगरपालिका) में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण की सुविधा दी गई थी। कई राज्यों ने इसे आधे तक (50%) किया गया। लेकिन महिलाओं की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति में अभी बहुत सुधार होना बाकी है।

महिलाओं के खिलाफ पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन नहीं आया है। जिन पंचायतों में महिला सरपंच या प्रधान है वहां भी पुरुष पति का प्रभाव अधिक है। इस संबंध में 'सरपंच पति' की अवधारणा सामने आई है।

कई राज्यों - राजस्थान, हरियाणा ने पंचायती चुनावों हेतु न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य की है

इसका भी महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की अपेक्षा कम है।

महिलाओं के नाम पर संपत्ति न होने के कारण उन्हें बैंकों से कर्ज मिलने में परेशानी होती है। महिलाओं की क्रेडिट स्थिति में अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है।

महिलाओं के स्थानीय प्रशासन में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनको पर्याप्त प्रशिक्षण, शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हो।

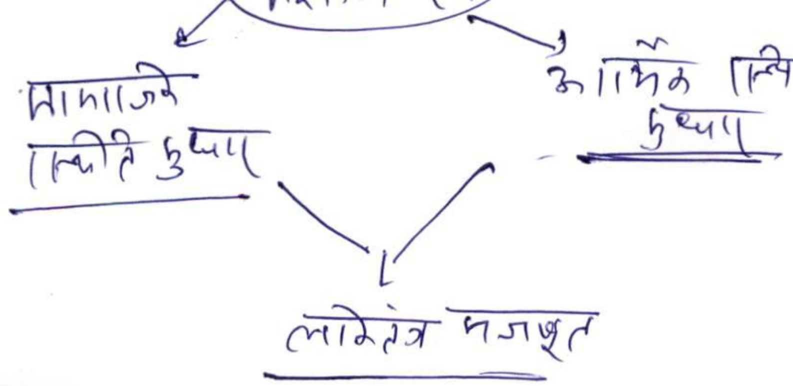

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को प्रभावी आरक्षण सुनिश्चित करना
- महिलाओं की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना, ग्राम सभा-पंचायत की मीटिंग में महिलाओं की बराबर भागीदारी दिलाना।
- महिला भागीदारी बढ़ाने का एक उदाहरण राजस्थान की सोढ़ा पंचायत की सरपंच छवि राजावत ने प्रस्तुत किया है जो प्रभावी तरीके कार्य कर रही है।
- महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलने हेतु व्यवहारात्मक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है।